

अज्ञ अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम

श्रवण सिंह वनाम लक्ष्मण आदि.
मुकदमा नम्बर 58 सन 2020

मुकदमा प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा

हुकम या कार्यावाही मय इनीशियल्स जाल

नम्बर व तारीख
अदालत जो हुकम
हुकम की तारीख
म जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री नरेश सागोता एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाये। प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अरथाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर बाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अरथाई निषेधाज्ञा के विन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रश्नगत भूमि की खातेदारी प्रार्थी व उसके परिजनों के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण का इस भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है जबरन चाह पर अतिक्रमण कर मोका सूरत तब्दील करने पर आमादा हो रहे है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अरथाई निषेधाज्ञा जारी की जाये।

प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकरिमकता को देखते हुए एवं खातेदार के हितों को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अरथायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.07.2020 तक पबन्ध किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 710 रकबा 0.06 हे. गै0भु0 चाह तन ग्राम नृसिंहपुरी तहसील नीमकस्थाना जिला सीकर में अनावश्यक मजाहमत नहीं करे।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दरतावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अरथायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी / प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अरथायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन / वैंकट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.07.2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकस्थाना (सीकर)

13/11/20
पत्रावली पेश हुई। लॉकडाउन होने के कारण इकतमाली करीब पेशी दी जाने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/10/20 को पेश की।

13/10 पत्रावली पेश की
अब कार्य में बाधा
दिनांक 23/12/20 को पेश है।
समस्थित 1PO के
कार्य पूर्व आदेशानुसार

23/12-
2020

वकील जगदीश उपाय अग्रणी अग्रणी अग्रणी के लीटर वीरेश्वर
आका बरसी है। पत्रावली दिनांक 24/12/20 को पेश
है।

24/12 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित 1PO के
कार्य में बाधा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 8/1/21 को पेश हो।

8/1

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित।
PO साहब दीनार कार्य में बाधा है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/6/21
को पेश हो।

2/6

कोरोना महानगरी के प्रकोप को नया नगर
रखते हुए इकाई तारीख पेशी दी जाने से
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/7/21
को पेश हो।

22/7

पत्रावली पेश हुई। अभिभावक साथ
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 21/10/20 को पेश हो।

31/8/20

पत्रावली पेश हुई। वकील जगदीश उपाय अग्रणी अग्रणी के लीटर वीरेश्वर
आका बरसी है। पत्रावली दिनांक 24/12/20 को पेश
है।

23/11

पत्रावली पेश हुई। अभिभावक साथ
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 8/2/21 को पेश हो।

8/2/21 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक साथ
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार

R

वकील जीवित 370/381/107 का तबना
अदेशानुसार कमी और पत्रावली PO 3015/12 का
पत्र है।

P
30/5/22 पत्रावली पत्र हुई। वक्तव्य उपस्थित है।
PO साहब दीनार कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/7/22 को पत्र है। h

11/7/22 पत्रावली पत्र हुई। वक्तव्य उपस्थित है।
PO साहब दीनार कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/9/22 को पत्र है। B

22/9/22 पत्रावली पत्र हुई। वक्तव्य उपस्थित है।
PO साहब दीनार कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/11/22 को पत्र है। B

28/11/22 पत्रावली पत्र हुई। वक्तव्य उपस्थित है।
PO साहब दीनार कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/2/22 को पत्र है। 2

1st/1/23 पत्रावली पत्र हुई। वक्तव्य उपस्थित है।
PO साहब दीनार कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/4/23 को पत्र है। 2

11/4 पत्रावली पत्र हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी
सामुहिक अवकाश पर होने के कारण
पत्रावली में आगामी पत्रा दिनांक 6/6/23
नियत की जाती है। S

6/6 पत्रावली पत्र हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी
सामुहिक अवकाश पर होने के कारण
पत्रावली में आगामी पत्रा दिनांक 28/7/23
नियत की जाती है। S

28/7/23 पत्रावली पत्र हुई। अभिलेखक संघ ने
आज अखिली कार्य का स्थान कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 28/8/23 को पत्र है। L